प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.09.2025

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा विभिन्न गैस कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर गैस एजेन्सी देने के नाम पर कूटरचित गैस एजेन्सी आवंटन लेटर बनाकर तथा जॉब दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 04 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 06 चेकबुक, 01 पासबुक, 08 एटीएम कार्ड, कूटरचित 337 गैस एजेन्सी आवंटन लेटर, होण्डा अमेज कार बरामद । कुल 30 लाख रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं से सम्बन्धित 7 राज्यों की 11 घटनाओं का अनावरण ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा रिलायंस गैस, इण्डियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम गैस कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को कॉल कर गैस एजेन्सी देने के नाम पर कूटरचित गैस एजेन्सी आवंटन लेटर बनाकर तथा लोगों को जॉब दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त राहुल यादव, शुभम सिंह चौहान, रविन्द्र कुमार और हेमेन्द्र को साइबर अपराध में प्रयुक्त 11 मोबाइल फोन, 06 चेकबुक, 01 पासबुक, 08 एटीएम कार्ड, कूटरचित 337 गैस एजेन्सी आवंटन लेटर, होण्डा अमेज कार के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों से 30 लाख रुपये की साइबर ठगी की 7 राज्यों की 11 घटनाओं का अनावरण किया गया है ।

इन अभियुक्तों ने चंडीगढ़ के विश्वानंद, राजस्थान के राजकुमार मीणा, केरल के फाजिल करीम, अनूप केवी, तमिलनाडु के विबिन देवा, बालासुब्रमण्यम आर और आदिल, तेलंगाना के गुंटुका रघुवीर, हनुमंत राव, महाराष्ट्र के प्रभाकर भीमराव इंगल तथा गुजरात के महेरा के साथ साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है ।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वो लोग प्राइवेट जॉब करते थे तथा अधिक पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए ये लोग लोगों को कॉल कर उनके साथ साइबर धोखाधड़ी करने लगे । ये अभियुक्तगण कस्टमर का डाटा प्राप्त कर फर्जी आईडी की सिम से लोगों को कॉल कर उन्हें जॉब दिलाने तथा विभिन्न गैस कम्पनियों के प्रतिनिधि बनकर उन्हें कॉल कर गैस एजेन्सी दिलाने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करते थे । राहुल यादव और शुभम सिंह चौहान ने मिलकर हेमेन्द्र और रविन्द्र को काफी पैसा मिलने का लालच देकर अपने साथ शामिल किया था । रविन्द्र का काम इस साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराना था। रविन्द्र धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी आइडी की सिम की व्यवस्था करता था । QUIKAR के माध्यम से प्राप्त डाटा से लोगों के नम्बर निकाल कर उन्हें जॉब दिलाने के लिए उनसे पैसे लेते थे ।

ये लोग दक्षिण भारत के लोगों को खास तौर से टार्गेट करते थे । पूछने पर बताया कि उत्तरी भारत के लोग कॉल करने पर पैसे नहीं जमा कराते थे जबकि दक्षिण भारत के लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते थे । शुभम चौहान ने बताया कि वो कस्टमर का डाटा QUIKAR के माध्यम से लेता था। सोशल मीडिया से प्रोफेशनल लोगों की फोटो डाउनलोड कर अपने व्हाट्सएप पर उन की फोटो डीपी में लगाकर लोगों को विश्वास में लेते थे । इनमें से शुभम चौहान प्रतीक अग्रवाल बनकर तथा राहुल यादव सुभाष चन्द्रा बनकर लोगों को विभिन्न गैस कम्पनियों की गैस एजेन्सी

दिलाने के नाम पर फोन करते थे। लोगों से गैस एजेन्सी आवंटन फार्म भरवाकर पैसे जमा करवाकर फर्जी गैस एजेन्सी आवंटन लेटर बनाकर व्हाट्सएप पर भेजते थे । ये लोग लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सरकार द्वारा संचालित https://www.lpgvitarakchayan.in वेबसाइट के फोटो भी उन्हें शेयर करते थे । इन अभियुक्तों के मोबाइल में तथा व्हाट्सएप चैट में विभिन्न गैस एजेन्सी रिलायंस गैसहिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत ,इण्डियन ऑयल , पेट्रोलियम के गैस एजेन्सीआवंटन के फर्जी व कूटरचित अनुमोदन लैटर की पीडीएफ मिली है ।

अभियुक्तों ने रिलायंस गैस हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम ,इण्डियन ऑयल ,गैस कंपनियों की एजेन्सी देने के नाम पर 700 से अधिक कूटरचित गैस एजेन्सी आवंटन लेटर बनाकर साइबर फ्रॉड करना स्वीकार किया है । इन अभियुक्तों से बरामद साक्ष्य के आधार पर 07 राज्यों के निम्नलिखित 11 लोगों से साइबर अपराध की घटनाओं का खुलासा हुआ है :-

1. श्री विश्वानंद सेक्टर-36 चंडीगढ़ के साथ गैस एजेन्सी आवंटन के नाम पर 3100 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
2. श्री राजकुमार मीना नागौरें राजस्थान के साथ गैस एजेन्सी आवंटन के नाम पर 789725 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
3. श्री फ़ाज़िल करीम केरल जॉब के नाम पर 1150 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
4. श्री अनूप के.वी कुर्नाकुलम थ्रिचूर सिटी केरल के साथ जॉब फ्रॉड के नाम पर तीन बार में कुल 1212982 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई ।
5. श्री विबिन देवा थूथुकुडी दक्षिण तमिलनाडु जॉब के नाम पर 20650 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
6. श्री गुंटुका रघुवीर कोरुतला तेलंगाना के साथ गैस एजेन्सी आवंटन के नाम पर 15500 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
7. श्री प्रभाकर भीमराव इंगले खामगांव ग्रामीण गुलधाना महाराष्ट्र के साथ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की गैस एजेन्सी आवंटन के नाम पर 943200 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
8. श्री हनुमंत राव चत्रिनाका हैदराबाद तेलंगाना के साथ गैंस एजेंसी आवंटन के नाम पर 15500 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
9. श्री बालासुब्रमण्यम आर चेन्नई तमिलनाडु ओएमजीसी अधिकारी द्वारा उनके ऑफिस में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे व्यक्ति के साथ हुई साइबर फ्रॉड की घटना दर्ज कराई गयी । सिनोज के नामक व्यक्ति से 9500 रुपये नौकरी के नाम पर जमा कराये गये थें 65300 रुपये और जमा कराने के लिए कहा गया था जो कि उसने तस्दीक करने के उपरान्त जमा करने के लिए कहा था । जब ज्वाइन करने पहुंचा तब उसे साइबर फ्रॉड का पता चला ।
10. श्री अधिल पल्लीकरानई तमिलनाडु के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 4650 रुपये का साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।
11. श्री नवनीत महेरा बालासिनोर गुजरात के साथ नौकरी के नाम पर 1150 रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी ।

उपरोक्त घटनाओं से सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर इनके विरुद्द अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

इनके गैंग का साथी विजय शर्मा फरार है ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. राहुल यादव पुत्र जुगल किशोर निवासी धामा डेयरी के पास अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष शिक्षा स्नातक।
2. शुभम सिंह चौहान पुत्र राजकुमार सिंह निवासी सिकन्दर कम्पू, हरगोविन्द का खेत गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश हाल पता होमटेक ग्लोबल सेक्टर 73 शरफाबाद नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष शिक्षा 12वीं पास।
3. हेमेन्द्र पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्रा0 मोहनपुरा थाना काशीरामनगर जनपद कांसगज हाल पता किराये का मकान 25 फुटा सिदार्थ बिहार गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष शिक्षा 12वीं पास।
4. रविन्द्र कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी म0नं0 144 ग्रा0 हसौना जगमोहनपुर थाना गांगीरी जनपद अलीगढ़ हाल पता बागू चर्च वाली गली विजयनगर बाईपास थाना क्रांसिग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा 5वीं पास।

बरामदगी का विवरण –

1. 11 मोबाइल फोन,
2. 06 चेकबुक,
3. 01 पासबुक,
4. 08 एटीएम कार्ड,
5. होण्डा अमेज कार।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग की घटना से संबन्धित एक पीली धातु की चैन, 01 पीली धातु का लॉकेट व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चोरी की मोटरसाइकिल व 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 15.09.2025 को थाना वेव सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि दो अज्ञात लड़कों द्वारा वादिया के गले से सोने की चैन (लोकेट सहित) को छीनकर भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर सुसंगत धारा 304(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 17.09.2025 थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त चैन छीनने की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. बादल पुत्र अशोक यादव निवासी म0नं0 08 गली नं0 01 नियर पुलिस चौकी कमला हॉल थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. क्रिश पुत्र गोपाल निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष को जयपुरिया ग्रीन्स सोसायटी लालकुंआ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक पीली धातु की चैन, 01 पीली धातु का लॉकेट व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP14EZ4711 एवं

चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP81DQ4071 व 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि सर हमने अपने साथी हिमांशु उर्फ चिराग पुत्र श्याम सिंह निवासी बिलास नहर के पास दनकौर के साथ मिलकर चोरी व छिनैती की घटना करते थे। चोरी व छिनैती के सामान को बिशन ज्वैलर्स के नाम से शांति नगर विजयनगर गाजियाबाद की दुकान पर रोहित कुमार पुत्र पप्पू निवासी 268 शांति नगर विजयनगर गाजियाबाद को बेचते थे। हम लोग दिनांक 14/09/25 को मानसरोवर पार्क से दुकान पर एक महिला से उसके गले से चैन छीनकर भाग गये थे तथा साथ ही साथ अभियुक्त क्रिश ने बताया कि सर जिस महिला से हमने चैन छीनी थी वो महिला गिरधरपुर की रहने वाली है और मैं भी गिरधरपुर का रहने वाला हूँ। मैं काफी दिनों से उस महिला के पीछे लगा हुआ था, उस दिन महिला दुकान पर अकेली थी तो मैंने अपने साथियों बादल व हिमांशु उर्फ चिराग को बुलाया था, मैं थोडी दूरी पर खडा था तथा मेरे पास बादल की मोटरसाईकिल नं0 UP14EZ4711 थी और पूर्व में हम तीनों द्वारा मिलकर क्रॉसिंग रिपब्लिक से जो मोटरसाईकिल चोरी की थी बादल व हिमांशु उर्फ चिराग उस मोटरसाईकिल पर थे तथा मैने उन्हे इशारा करके बताया जिसके बाद वो दोनो महिला के गले से चैन छीनकर मोटरसाईकिल से भाग गय़े थे और मैं भी मोटरसाईकिल से वहाँ से भाग गया था और आज हम चैन और लॉकेट रोहित कुमार पुत्र पप्पू निवासी 268 शांति नगर विजयनगर गाजियाबाद को बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.बादल पुत्र अशोक यादव निवासी म0नं0 08 गली नं0 01 नियर पुलिस चौकी कमला हॉल थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

2. क्रिश पुत्र गोपाल निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष

1.आपराधिक इतिहास बादलः-

1.मु0अ0सं0 1204/2023 धारा 411/414/482 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2.मु0अ0सं0 597/2019 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
3.मु0अ0सं0 255/2022 धारा 379/411 थाना सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 512/2019 धारा 392/411भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 548/2019 धारा 482 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 880/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 719/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 766/22 धारा 25/27/3 आयुध अधि0 307/34 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
9.मु0अ0सं0 82/2025 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 धारा 109/317(5) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
10 मु0अ0सं0 489/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 58 गौतमबुद्धनगर
11 मु0अ0सं0 502/2017 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
12 मु0अ0सं0 518/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

13 मु0अ0सं0 123/2019 धारा 392/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर
14.मु0अ0सं0 206/2022 धारा 3/25 आयु0अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
15 मु0अ0सं0 209/2022 धारा 411/413/414/482 भादवि बादलपुर गौतमबुद्धनगर
16. मु0अ0सं0 169/2022 धारा 307 भादवि थाना एक्सप्रेस गौतमबुद्धनगर
17. मु0अ0सं0 170/2022 धारा 3/25/27 आयु0 अधि0 थाना एक्सप्रेस वे गौतमबुद्धनगर
18. मु0अ0सं0 279/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS **थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद**

2..आपराधिक इतिहास क्रिश

1. मु0अ0सं0 279/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS **थाना वेव सिटी कमि0 गाजियाबाद**, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 18.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 वाहन चोर अभियुक्त 1.सुहैल पुत्र यासीन निवासी पाठशाला रोड, सिनेमा हाल, कस्बा खेकडा,थाना खेकडा, बागपत उम्र करीब 20 वर्ष 2.दानिश पुत्र यासीन निवासी पाठशाला रोड,सिनेमा हाल,कस्बा खेकडा, थाना खेकडा, बागपत उम्र करीब 26 वर्ष 3.साहिल पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी- मस्जिद वाली गली, पार्क के पास, सिनेमा हाल के पास, कस्बा खेकडा थाना खेकडा, बागपत उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी अशोक विहार थाना क्षेत्र लोनी के गढी सब्लू रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गणो ने पूछताछ पर बताया कि हमने यह मोटर साइकिल कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी तथा यह तमन्चा चोरी करते समय लोगो को डराने के लिये रखते है। आज हम इस मोटरसाइकिल बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया। अभि0गण ने बताया कि हम लोग पूर्व में भी थाना खेकडा जनपद बागपत से वाहन चोरी/बरामदगी व अवैध तमंचे में जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

*1.*सुहैल पुत्र यासीन नि0 पाठशाला रोड, सिनेमा हाल, कस्बा खेकडा,थाना खेकडा, बागपत उम्र 20 वर्ष
2.दानिश पुत्र यासीन नि0 पाठशाला रोड,सिनेमा हाल,कस्बा खेकडा, थाना खेकडा, बागपत उम्र 26 वर्ष
3.साहिल पुत्र मेहराजुद्दीन नि0- मस्जिद वाली गली, पार्क के पास, सिनेमा हाल के पास, कस्बा खेकडा थाना खेकडा, बागपत उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गणो के विरुद्ध थाना लोनी पर चोरी का वाहन बरामदगी व आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व दिल्ली में ई-पुलिस स्टेशन पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त सुहैल पुत्र यासीन के विरुद्ध थाना खेकडा जनपद बागपत पर लूट व बरामदगी के सम्बन्ध में 01 मुकदमा पंजीकृत है

अभियुक्त दानिश पुत्र यासीन के विरुद्ध थाना खेकडा जनपद बागपत पर आर्म्स एक्ट 01 मुकदमा पंजीकृत है।

अभियुक्त साहिल पुत्र मेहराजुद्दीन के विरुद्ध थाना खेकडा जनपद बागपत पर चोरी व बरामदगी का 01 मुकदमा पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 04 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे. रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 04 शातिर अपराधियों के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के भिन्न भिन्न थानो पर 09 अभियोग पंजीकृत है। जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं	अपराधी का नाम	उम्र	पंजीकृत अभियोगो की सं0
1	नीरज कौशिक पुत्र प्रेम प्रकाश कौशिक निवासी मं०नं० एच-2 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद	45	05
2	राजेन्द्र शर्मा पुत्र मांगेराम शर्मा निवासी ग्राम खेडी तगा थाना HSIDC बडी जिला सोनीपत हरियाणा	52	02
3	नन्दनी कौशिक पत्नी नीरज कौशिक निवासी मं०नं० एच-2 42 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद	42	01
4	गार्गी पत्नी पंकज कौशिक निवासी मं०नं० एच-2 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद	39	01